

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. - 2024/296
मुकदमा नम्बर 124/2024

दर्ज दिनांक-24.07.2024

1. बिमला पत्नी श्रीराम जाति मीणा निवासी नांगल, तहसील उदयपुरवाटी जिला नीम का थाना
बनाम
2. टोडाराम पुत्र रामकुवार
3. नागरीया पुत्र माना जाति माली निवासी पहाडीला तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनू
4. भूमिधारक राज्य सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुझुनू

वकील आवेदक : - श्री विनोद कुमार शेखावत
अनावेदक सं. 1 लगा.2 - एक पक्षीय
अनावेदक सं. 3- पैरो. राज

प्रार्थना-पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
:: आदेश ::


निर्णय दिनांक 10.03.2025

प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत किया कि, राजस्व ग्राम पहाडीला पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित प्रार्थनी की कृषि भूमि खाता सं. नया 89 के खसरा नं. 272 रकबा 1.1400 है० की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 06.06.2024 के मुताबिक पत्थर गड़डी करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक सं. 1लगा. 2 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण में इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अना. सं. 3 पैरो. राज. उपस्थित।

बहस एक पक्षीय पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील आवेदक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड खातेदार को अपनी कृषि जोत पर सीमाज्ञान व स्थायी सीमा चिन्ह कायम किये जाने का पूर्ण अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र भूमि खाता सं. नया 89 के खसरा नं. 272 रकबा 1.1400 है० की मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 06.06.2024 अनुसार पत्थरगड़डी किये जाने का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 06.06.2024 के अनुसार भूमि खाता सं. नया 89 के खसरा नं. 272 रकबा 1.1400 है० की सीमाओं में नियमानुसार शुल्क आवेदक द्वारा जमा करवाये जाने पर पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कर उक्त सम्बन्ध में जो भी हितबद्ध आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी में सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगड़डी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 10/03/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुझुनू